क्रम-संख्या–337(क)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1–खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 13 दिसम्बर, 1976
अग्रहायण 22, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 5250/सत्रह-वि-1-135-76

लखनऊ, 13 दिसम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 7 दिसम्बर, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976]
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह दिनांक 6 अगस्त, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961 की धारा 6 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1961, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 में, उपधारा (4) में, खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"(1) ऐसी भूमि के सम्बन्ध में धारा 14 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रतिस्थापन के साथ लागू होंगे कि उक्त धारा की उपधारा (1) में उल्लिखित

दिनांकों के प्रति निर्देशों के स्थान पर इस धारा की उपधारा (1) में उल्लिखित दिनांक के प्रति निर्देश समझा जायगा; और"

धारा 13-क का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 13-क में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 14 की उपधारा (1)" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 14 की उपधारा (4)" रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का प्रतिस्थापन

4--मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:--

"14-(1) कलेक्टर--

(क) उस दशा में जहां धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश अन्तिम हो गया हो, वहां उसके अन्तिम होने के दिनांक; या

(ख) उस दशा में, जहां धारा 13 के अधीन कोई अपील न की गयी हो, वहां उसके लिये व्यवस्थित परिसीमाकाल की समाप्ति के दिनांक; या

(ग) उस दशा में, जहां धारा 13 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गयी है, वहां उस पर निर्णय के दिनांक;

के पश्चात् किसी समय धारा 11, धारा 12 या धारा 13 के अधीन अवधारित अतिरिक्त भूमि पर और किसी असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल पर भी, जो ऐसी फसल या फल न हो, जिस पर धारा 15 की उपधारा (1) लागू होती हो, किसी व्यक्ति को, जिसके अध्यासन में ऐसी भूमि, फसल या फल हो, बेदखल करने के पश्चात् कब्जा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, खातेदार किसी समय कलेक्टर को अपने द्वारा धृत सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का कब्जा स्वेच्छा से दे सकता है, जिसे अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया हो या जिसके घोषित किये जाने की सम्भावना हो।

(3) जहां कलेक्टर ने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अतिरिक्त भूमि या असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल पर कब्जा ले लिया हो, वहां उपधारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ख), अथवा, जैसी भी दशा हो, खण्ड (ग) में अभिदिष्ट दिनांक से ऐसी भूमि, फसल या वृक्षों के फल समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगे और उस दिनांक से उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि भार, यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा।

(4) नियत प्राधिकारी उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित दिनांक के पश्चात्, यथाशीघ्र, इस अधिनियम के अधीन, या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 31 के अधीन अवधारित सभी अतिरिक्त भूमि सरकारी गजट में अधिसूचित करेगा।"

धारा 15 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में:--

(क) शब्द और अंक "धारा 14 की उपधारा (8)" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 14 की उपधारा (1)" रख दिये जायेंगे;

(ख) स्पष्टीकरण में, शब्द "अधिसूचना के दिनांक" के स्थान पर शब्द "अतिरिक्त भूमि का कब्जा लेने के दिनांक" रख दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 16 में, शब्द और अंक "की उपधारा (8)" निकाल दिये जायेंगे, और शब्द "उक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खण्ड" के स्थान पर शब्द "उक्त धारा" रख दिये जायेंगे।

धारा 17-ख का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 17-ख में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "की उपधारा (2)" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 22 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक "की उपधारा (8)" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 35 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक "की उपधारा (8)" निकाल दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

10--(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल-अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही इस प्रकार समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।